प्रेस-नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सचिन्द्र पटेल के निर्देशन में थाना मटसेना पुलिस टीम द्वारा अवैध सिलाई की मशीन बनाने वाली फैक्ट्री का किया भण्डाफोड़, मौके से दो अभियुक्त 1.आसिफ अली व 2.माहिर अली को भारी मात्रा में निर्मित व अर्द्धनिर्मित सिलाई मशीनों के साथ किया गिरफ्तार।

दिनाँक 19.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर आसिफ अली पुत्र अख्तर अली नि0 नगला मुल्ला थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद के घर पर दबिश दी गई जहाँ ऊषा कम्पनी के अलावा विभिन्न कम्पनियों की सिलाई मशीनों का अवैध रूप से निर्माण किये जाने का कारखाना पाया गया जहाँ से ऊषा कम्पनी के अलावा अन्य विभिन्न कम्पनी की निर्मित तथा अर्द्धनिर्मित मशीनें व उपकरण तथा मशीनों के पार्ट आदि बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में थाना मटसेना पर मु0अ0सं0 202/2020 धारा 420/486 भा0द0वि0, 63 व 65 कॉपीराइट एक्ट,103/104 ट्रेडमार्क एक्ट बनाम 1.आसिफ अली पुत्र अख्तर अली 2.माहिर अली पुत्र अख्तर अली नि0गण नगला मुल्ला थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- **ऊषा कम्पनी की 29 अर्द्ध निर्मित व 3 निर्मित सिलाई मशीन**
- **अन्य विभिन्न कम्पनी की 11 अर्द्ध निर्मित 57 निर्मिति सिलाई मशीन**
- **मशीन के हैंडल 50 , सापट 50 तथा विभिन्न कम्पनी के स्टीकर**

गिरफ्तार अभि0गण

1. आसिफ अली पुत्र अख्तर अली निवासी नगला मुल्ला थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद।
2. माहिर अली पुत्र अख्तर अली निवासी उपरोक्त।

गिरफ्तार करने वाली टीम

- एसएचओ श्री विनय कुमार मिश्र
- उ0नि0 श्री रामकृष्ण
- उ0नि0 श्री चन्द्रपाल
- का0 1017 अजीत
- का0 917 धीरेन्द्र प्रताप